

संख्या- 626/XV-1/2011/7(8)

विनोद फ़ोनिग  
सचिव  
उत्तराखण्ड शासन।

सका मे

निदेशक,  
पशुपालन विभाग,  
उत्तराखण्ड, देहरादून।

पशुपालन अनुभाग-1

देहरादून : दिनांक 28 जुलाई, 2011

विषय: राजकीय शल्य पशु चिकित्सालय में एक्स-रे एवं अल्ट्रा साउण्ड हेतु लेवी की दर निर्धारित किया जाना।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या-733/पशुधन-तीन/शल्य-चिकित्सालय 2011-12 दिनांक 02 जून 2011 एवं पत्र संख्या-136/पशुधन-तीन/शल्य-चिकित्सालय 2011-12 दिनांक 11 अप्रैल 2011 में की गई सस्तुति पर सम्यक विचारोपरान्त नुहा यह कठन का निर्देश हुआ है कि राजकीय शल्य पशुचिकित्सालयों में एक्स-रे एवं अल्ट्रा साउण्ड हेतु लेवी की दरें निम्नानुसार स्वीकृत की जाती है:-

क्र. सं.	विवरण	सेवा शुल्क दरें (₹)	अभ्युक्ति
1.	Large Film (Per Exposure, Size 17"X12")	50.00	गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले पशुपालक के लिए सुविधा निःशुल्क
2.	Small Film (Per Exposure, Size less than 15"X12")	40.00	-तदैव-
3.	Intra Venous Pyelography (IVP) Per Exposure	100.00	-तदैव-
4.	Barium Meal Study (Per Exposure)	100.00	-तदैव-
5.	Ultrasound Report (Without Scan Print)	50.00	-तदैव-
6.	Ultrasound Report (With Scan Print, if Available)	100.00	प्रिन्ट के साथ रिपोर्ट पर शुल्क देय होगा।

2. लेवी से प्राप्त होने वाली धनराशि राजकोष में जमा की जायेगी, इस धनराशि का किराया भी मद से व्यय नहीं किया जायेगा।

3. यह निर्देश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-75(NP)XXVII/2011 दिनांक-21.07.2011 में प्राप्त सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय

(विनोद फ़ोनिग)